न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 49/2017

भानीराम पुत्र मुन्शीराम जाति नायक निवासी मम्मड़खेड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर। —अपीलार्थी

बनाम

1. सहीराम
2. सुरजाराम
3. देवीलाल

पिसरान उदा जाति नायक निवासी मम्मड़खेड़ा तह0 सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

4. गुड्डी पत्नी काशीराम जाति नायक निवासी 5 पीपी बीझबायला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. माया पत्नी नानूराम जाति नायक निवासी हांसलिया(गोलूवाला)तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
6. कलावती पत्नी देवीलाल जाति नायक निवासी भादुओंवाली ढाणी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
7. रामप्यारी पत्नी पृथ्वीराज जाति नायक निवासी केराचक तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
8. देवकरण पुत्र लेखा
9. रामरख पुत्र लेखा
10. पार्वती पत्नी लेखा
11. महेन्द्र पुत्र लेखा
12. माया पुत्री लेखा

जाति नायक निवासीगण नोरंगदेसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

13. जगमाल
14. भारू

पिसरान मुन्शीराम जाति नायक निवासी मम्मड़खेड़ा तहसील तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर ।

15. सीताराम पुत्र रामलाल जाति नायक निवासी कलां टिब्बा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)।

28/4/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर

16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सादुलशहर। ——रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 75 रा.भू.अ. 1956

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर दिनांक 17.08.2012

उपस्थितिः–

श्री प्रेम प्रकाश मक्कड़, अभिभाषक अपीलार्थी

श्री प्रेमचन्द सेवटा अभिभाषक रेस्पो. संख्या 1 से 7

श्री नरेश कुमार गाबा अभिभाषक रेस्पो संख्या 8 से 12

श्री इकबालसिंह सिद्धु, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 23.04.2018

अपीलार्थी द्वारा यह अपील उपखंड अधिकारी सादुलशहर द्वारा जारी सनद कमांक 81 दिनांक 17.08.2012 के विरूद्ध पेश की है उक्त सनद चक 3 एसपीएम के ख.न. 26/193 मु.न. 37 की 6.325 है0 भूमि मुन्शीराम आवंटी मृतक की भूमि की उदी, उदा, अनी, लेखा, सहीराम, सुरजाराम, जगमाल, भारूराम, भानीराम, रामीदेवी कुल 10 सदस्यों के नाम से जारी की गई है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि अपीलांट के पिता मुन्शीराम को आवंटित की गई थी। अधी.न्यायालय ने सनद मुन्शीराम के नाम से जारी न करने में विधिक भूल की है एवं मृत व्यक्ति के नाम से जारी की है। सनद अन्य व्यक्तियों के नाम से जारी नहीं की जा सकती। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पेत्र किया है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपीलांट अपीलांट स्वीकार की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो.ने अपनी बहस में कथन किया कि अपील मियाद बाहर पेश की है। अपीलांट ने सनद के विरूद्ध वाद अधी. न्यायालय में पेश कर

28/4/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

दी है। अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने के बावजूद भी अपील मियाद बाहर पेश की है जो मियाद के बिन्दु पर खारिज की जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

अपील अधी.न्यायालय उपखंड अधिकारी सादुलशहर द्वारा जारी सनद संख्या 81 दिनांक 17.08.2012 के विरूद्ध पेश की है जिसमें सनद नोन कलेमेंट मुन्शीराम के परिवार के 10 सदस्यों के नाम से जारी की गई है जबकि Relevant दस्तावेजों Annexure I, II, III के अनुसार सनद अपीलांट के पिता मुंशीराम के अकेले के नाम जारी होनी चाहिए जो नहीं करने से अपास्त करने का अनुतोष चाहा है।

अधी.न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया उपखंड अधिकारी सादुलशहर द्वारा दिनांक 17.08.2012 को जारी सनद के विरूद्ध अपील पेश की है। अपील मीमों के साथ फार्म नं. 3 के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों में प्रमाणित प्रति सनद दिनांक 17.08.2012, नकल जमाबंदी सम्वत् 2069–2071, नकल नामान्तरणकरण दिांक 20.02.2013, आरआरडी 1992 पेज 611 से 613 की फोटो प्रति है तथा अपील दिनांक 25.04.2017 को लगभग 5 वर्ष बाद पेश की है तथा इसी देरी को माफ करने का जो प्रार्थना पेश किया है उसमें अंकित किया है कि अपीलांट को सनद का सर्वप्रथम ज्ञान उस समय हुआ जब अपीलांट राजस्व रिकार्ड में जमाबंदी लेने हेतु गया कि अपीलांट के पिता के नाम से सनद जारी हुई होगी, परन्तु इन्तकाल की नकल दिनांक 12.04.2017 को लेने पर पता चला कि सनद अकेले मुन्शीराम के नाम से जारी नहीं हुई बल्कि सनद रेस्पो0 के नाम से भी जारी हुई है जिस पर अपीलांट ने सनद की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु प्रार्थना पत्र दिया। मियाद प्रार्थना पत्र के तथ्यों की अभिभाषक रेस्पो. द्वारा प्रारम्भिक तथा कानूनी एतराज के बिन्दु संख्या 3 में जारी किया कि वाद पत्र जो कि मुकदमा नं. 68/15 पर दर्ज होकर विचाराधीन है की मद संख्या 5 में भी अपीलांट भानीराम ने यह स्पष्ट कथन किया है कि सनद संख्या 81/17.08.12 में लेखा का 1/7

23/4/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

हिस्सा, सहीराम भतीजा 1/7 हिस्सा, सुरजाराम 1/7 हिस्सा गलत रूप से दर्ज हो गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अपीलांट को सनद की जानकारी दिनांक 23.04.2015 से पूर्व ही हो चुकी थी।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करने के पश्चात यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि रेस्पो. अभिभाषक द्वारा फार्म नं. 3 के साथ दिनांक 29.06.2017 को प्रस्तुत दस्तावेज यथा प्रमाणित प्रतिलिपि आदेशिका, समस्त दावा भानीराम बनाम सहीराम, प्रमाणित प्रतितिपि दावा अनवानी भानीराम बनाम सहीराम मय शपथ पत्र, प्रमाणित प्रतिलिपि आदेशिका दिनांक 23.04.15 से 23.06.17 तक, प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र 212 आरटीए, प्रतिलिपि शपथ पत्र प्रार्थी दिनांक 23.04.2015, प्रमाणित प्रति अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 28.04.2015 के अवलोकन से यह प्रमाणित है कि अपीलांट भानीराम द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र 68/15 में सनद आधारित राजस्व रेकार्ड के विरूद्ध घोषणात्मक दावा किया है जो शपथ पत्र दिनांक 23.04.2015 को हस्ताक्षरित है यही नहीं विवादित आराजी पर मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति के आदेश प्राप्त किये हैं जो सनद से सन्दर्भित है। अतः अपीलांट को अपीलाधीन सनद, दिनांक 17.08.2012 का ज्ञान दिनांक 23.04.2015 को होना रेकार्ड से साबित है तथा ज्ञान होने की तिथि से 2 वर्ष बाद अपील पेश होना तकनीकी बिन्दु मियाद के बिन्दु पर अपील खारिज योग्य है। तदानुसार अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 23.04.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/4/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर